विधान-सभा प्रकरण/सर्वोच्च प्राथमिकता

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान-जयपुर ।

क्रमांक:प्रशि0/मस्वाका/2010/ 566 दिनांक:

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
झुन्झुनू/कोटा/बून्दी/बांरा/झालावाड/उदयपुर/बांसवाडा
चितौडगढ/राजसमन्द/डूंगरपुर/जोधपुर/बाडमेर/जैसलमेर
सिरोही/जालौर/पाली/अजमेर/भीलवाडा/टोंक/नागौर
बीकानेर/चूरू/गंगानगर/हनुमानगढ/भरतपुर/धौलपुर/
करौली/स0माधोपुर/जयपुर प्रथम/अलवर/दौसा/सीकर

विषय:-ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर को आई.एन.सी. से मान्यता बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत तत्काल अवगत करावें कि आपके अधीन संचालित एएनएम स्कूल को आई0एन0सी0 की मान्यता है या नहीं? यदि नहीं तो किन-किन कमियों के कारण आईएनसी द्वारा मान्यता कबसे निरस्त की गयी है तथा आईएनसी की मान्यता बहाली/प्राप्ति हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है, और वर्तमान स्थिति क्या है ?

उपरोक्त सूचना दिनांक:23.03.10 को प्रात:11 बजे तक फैक्स न0-0141-2222683 पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

अति0 निदेशक(प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0जयपुर ।